



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222004
CG-DL-E-26092020-222004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2949]
No. 2949]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

का.आ. 3300(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात और औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), कानपुर नगर, को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी जो आवश्यक समझे आदेश द्वारा या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कानपुर देहात और औरैया जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

जिले का नाम : कानपुर देहात				
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डेरापुर	परजनी	129	0.0512
			130	0.0560
			131	0.3960
			138	0.0056
			141	0.4144
			136	0.0028
			527	0.2296
			525	0.0900
			531	0.0056
			532	0.1512
			533	0.1280
			515	0.0140
			541	0.1268
			542	0.1132
			543	0.0200
			696	0.0288
			538	0.0048
जिले का नाम : औरैया				
1.	औरैया सदर	केंजरी	613	0.0504
			616	0.1680
			622	0.0504
			623	0.0048
			626	0.0192
			624	0.1500
			880	0.0860
			886	0.0200
			887	0.5110
			618	0.0240
			611	0.1344
			625	0.0400
			890	0.0600
			891	0.0360

2.	विधूना	सूखमपुर	173	0.0648
			174	0.0095
			175	0.0224
			176	0.3672
			177	0.0056
			156	0.1016
			180	0.0028
			221	0.0686
			224	0.0280
			225	0.0080
			222	0.0068
			223	0.0616
			247	0.0200
			254	0.1400
			253	0.0200
			359	0.1210
			255	0.1344
			256	0.1680
			371	0.1164
			357	0.0224
			226	0.0180
			360	0.0200
			361	0.0180
			358	0.0504
			257	0.0256
3.	विधूना	कन्हों	1062	0.0400
			1061	0.0396
			1060	0.1456
			1059	0.0730
			1058	0.0864
			1028	0.1032
			1004	0.0820
			1027	0.0064
			1013	0.0200
			997	0.0344
			993	0.0144
			1026	0.0308
			1378	0.2864
			1375	0.1120

			1374	0.1176
			1369	0.0980
			1370	0.0264
			1381	0.0832
			1063	0.0568
			1001	0.0810
			998	0.0192
			1368	0.0880

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2062]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020

S.O. 3300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat and Auraiya in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat and Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

Name of District : Kanpur Dehat				
Serial Number	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Area in hectares/ Square metres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Derapur	Parjani	129	0.0512
			130	0.0560
			131	0.3960

			138	0.0056
			141	0.4144
			136	0.0028
			527	0.2296
			525	0.0900
			531	0.0056
			532	0.1512
			533	0.1280
			515	0.0140
			541	0.1268
			542	0.1132
			543	0.0200
			696	0.0288
			538	0.0048
Name of District : Auraiya				
1.	Auraiya Sadar	Kenjari	613	0.0504
			616	0.1680
			622	0.0504
			623	0.0048
			626	0.0192
			624	0.1500
			880	0.0860
			886	0.0200
			887	0.5110
			618	0.0240
			611	0.1344
			625	0.0400
			890	0.0600
			891	0.0360
2.	Bidhuna	Sukhampur	173	0.0648
			174	0.0095
			175	0.0224
			176	0.3672
			177	0.0056
			156	0.1016
			180	0.0028
			221	0.0686
			224	0.0280
			225	0.0080
			222	0.0068
			223	0.0616
			247	0.0200
			254	0.1400
			253	0.0200
			359	0.1210

			255	0.1344
			256	0.1680
			371	0.1164
			357	0.0224
			226	0.0180
			360	0.0200
			361	0.0180
			358	0.0504
			257	0.0256
3.	Bidhuna	Kanho	1062	0.0400
			1061	0.0396
			1060	0.1456
			1059	0.0730
			1058	0.0864
			1028	0.1032
			1004	0.0820
			1027	0.0064
			1013	0.0200
			997	0.0344
			993	0.0144
			1026	0.0308
			1378	0.2864
			1375	0.1120
			1374	0.1176
			1369	0.0980
			1370	0.0264
			1381	0.0832
			1063	0.0568
			1001	0.0810
			998	0.0192
			1368	0.0880

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2062]

A. K. SINHA, Executive Director (Land & Amenities)